न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 86/2015

1– श्री सन्नी उर्फ पीटर विलियम जोन आयु 48 वर्ष माता स्व0 श्रीमति एन्जो दोहिता स्व. श्री यामिन जी

2– श्रीमति ऐनी आयु 70 वर्ष पुत्री स्व0 यामिन जी

वादी संख्या 1 व 2 जाति भारतीय इसाई निवासीयान मीन कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

3– श्रीमति हन्ना आयु 65 वर्ष पुत्री स्व0 श्रीमति लज्जो दोहिती स्व0 श्री यामिन जी

4– श्रीमति सालोमी आयु 63 वर्ष पुत्री स्व0 श्रीमति लज्जो दोहिती स्व0 श्री यामिन

वादी संख्या 3 व 4 जाति भारतीय इसाई निवासी बग्गालाल जी खाती का मकान शिवा कॉलोनी डूंगरी माता रोड, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———वादीगण

ब ना म

1– श्रीमति शांति पत्नि स्व0 श्री मोरिस आयु 70 वर्ष

2– श्रीमति मार्था पुत्री स्व0 श्री मोरिस आयु 44 वर्ष

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जाति भारतीय इसाई निवासीयान चर्च कम्पाउण्ड चांग गेट, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

3– श्री सोलोमन पुत्र स्व0 श्री मोरिस आयु 42 वर्ष जाति भारतीय ईसाई निवासी मिशन कम्पाउण्ड ब्यावर जिला–अजमेर

4– श्री बंटी उर्फ मरकुश पुत्र स्व0 श्री मोरिस जाति भारतीय इसाई निवासी ग्राम शिवपुरी वाया नन्दवाडा तहसील मसूदा

5– श्रीमति मरियन पुत्री स्व0 श्री मोरिस आयु 46 वर्ष जाति भारतीय ईसाई निवासी किशनगंज आतेड , अजमेर

6– श्रीमति प्रेमी पत्नि स्व0 श्री नेस्टर आयु 65 वर्ष जाति भारतीय इसाई निवासी कल्पना नगर जनता नगर के सामने साबरमती, अहमदाबाद गुजरात

7– श्रीमति नीलू पत्नि स्व0 श्री नेल्सन आयु 50 वर्ष

8– श्रीमति रूबी पुत्र स्व0 श्री नेल्सन आयु 29 वर्ष

9– श्री विक्की पुत्र स्व0 श्री नैल्सन आयु 23 वर्ष

प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 जाति भारतीय इसाई निवासी खारचिया कुआ छावनी प्रेड, ब्यावर जिला–अजमेर

10– श्रीमति नोरविन पुत्री स्व0 नेस्टर आयु 50 वर्ष जाति भारतीय इसाई निवासी सी–451 सिंधी भवन पंचशील कॉलोनी, वैशालीनगर, अजमेर राज0

11– श्री नौरीन पुत्र स्व0 श्री नेस्टर आयु 40 वर्ष जाति भारतीय इसाई निवासी खारचिया कुआ ब्यावर जिला–अजमेर राज0

12– श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि श्री भंवरलाल जी जाति माली

13– श्री नानकराम पुत्र श्री भंवरलाल जी जाति माली

निवासीयान गहलोत कॉलोनी तिखुना नोहरा चांग चितार रोड, ब्यावर

14– श्री राजेश जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जी जैन जाति जैन निवासी नरसिंह मंदिर गली, ब्यावर

15– श्री प्रमोदकुमार सांखला पुत्र अल्फू जी आयु 57 वर्ष जाति माली निवासी दयानगर नरसिंहपुरा ब्यावर

———प्रतिवादीगण

16– श्री स्टेनली पुत्र श्री जोन आयु 55 वर्ष जाति भारतीय इसाई निवासी खारचीया कुंआ रेल्वे क्रोसिंग छावनी प्रेड, ब्यावर

17– श्रीमति आईरिस पुत्री स्व0 श्री जोन पत्नि श्री मोहनलाल आयु 53 वर्ष

18– श्रीमति क्रिस्टीना पुत्री स्व0 श्री जोन पत्नि श्री अजय आयु 48 वर्ष

19– श्रीमति शोभा पुत्री स्व0 श्री जोन पत्नि श्री विजय जोर्ज आयु 50 वर्ष

प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 जाति भारतीय इसाई निवासीयान गील कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के सामने, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

20– श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री छोगा जी जाति माली निवासी बिचडली मौहल्ला ब्यावर

21– श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जगदीश जी माली जाति माली निवासी छावनी प्रेड, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

22– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

23– राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर

——प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी जो वाद पत्र संख्या 86/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ।</u>

आदेश दिनांक 01.8.2017

प्रतिवादीगण संख्या 4, 12 व 13 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का अनुतोष मांगते हुये सिविल न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री एंव राजीनामा को वादीगण के हक हिस्से तक शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहते हुये दावा प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त विवादित भूमियों के खातेदार यामिन पुत्र दानियल कौम इसाई का स्वर्गवास सन् 1993 से पूर्व ही हो चुका था जिसका अमल दरामद भी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 में जरिये नामान्तकरण संख्या 91 दिनांक 21.10.1993 के जरिये फोती दाखिल खुलकर अमल दरामद भी हो चुका है, इसलिये वादीगण यामिन की पुत्री व दोहिते व दोहतीयो को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार भी नही है। विवादित भूमियो के विषय में दीवानी वाद संख्या 08/2003 एंव पुराना मुकदमा संख्या 19/1994 मे पारीत निर्णय व डिक्री के अनुसार उक्त विवादित भूमियों का विभाजन होकर जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में जरिये नामान्तकरण दिनांक 13.04.2004 के अनुसार अमल दरामद भी हो चुका है, और उसके आधार पर प्रतिवादीगण ने विभिन्न बेचाननामो के आधार पर बेचान भी की जा चुकी है, और उसके आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही की जाकर जमाबंदी में अलग अलग खाते में दर्ज चली आ रही है जबकि वादीगण का विवादित भूमियो में कोई हक हिस्सा स्वत्व व मालिकाना आधिपत्य व कब्जा किसी भी प्रकार से निहित नही है। उक्त सिविल वाद प्रकरण संख्या 19/94(08/2003) में पारीत राजीनामा दिनांक 11.3.2003, 20.2.2004 एंव उसके आधार पर पारीत निर्णय व डिक्री दिनांक 26. 02.2004 को चुनौती दी गई है, जिसको हांलाकि इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी इस डिक्री को मानते हुए दीवानी वाद संख्या 85/2004(66/2004) में राजीनामा दिनांक 07.10.2009 के आधार पर राजीनामा दावा खारिज करते हुए उक्त डिक्री को माना है, उस आदेश दिनांक 07.10.2009 व राजीनामा दिनांक 07.10.2009 को चुनौती नहीं दी है, जबकि वादीगण ने उक्त सिविल दावे में पक्षकार थे और उस दावें को खरिज होने दिया, पूर्व में हुए राजीनामा व डिक्री को वादीगण ने खुद ने सही होना स्वीकार किया इसलिये इस प्रकरण को सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है तथा बार्ड बाई लॉ होने के कारण से सरसरी तौर से निरस्त होने योगय है। तथा माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय प्रकाश वगैरह बनाम श्रीमति फूलाबती वगैरह में प्रतिपादित किया गया है, कि दिनांक 09.09.2005 के पूर्व पिता की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्तियो में पुत्रीयो का कोई अधिकार होना नही पाया जाता है, इसलिये भी वादीगण का वाद निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत बॉर्ड बॉई लॉ होने के कारण से सरसरी तौर से निरस्त किया जावे।

वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं कर मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया है, कि जो सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था उसमें वादीगण पक्षकार नही थे तथा तृतीय व्यक्ति पक्षकार होकर वाद में विभाजन की डिक्री पारीत करवा ली इसलिये उक्त सिविल वाद में हुये राजीनामा व निर्णय व डिक्री से वादीगण बंधनकारी नही है। और इन तथ्यो पर दोनो पक्षो की साक्ष्य लिया जाकर ही प्रकरण को निस्तारित किया जा सकता है। इसलिये प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र व वाद में वर्णित दस्तावेजो का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण ने अपने वाद पत्र में सिविल वाद संख्या 19/94 (08/2004) न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व राजीनामा एंव अन्य सिविल वाद संख्या 66/2004 में प्रस्तुत राजीनामा व वाद दिनांक 07.10.2009 को फैसल किया उनको तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 द्वारा किये गये बेचाननामो को वादीगण के हक व हित की सीमा तक शून्य व प्रभावशून्य घोषित करवाने व विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में जमाबंदी संवत 2058 से 2061 के खाता संख्या 9 में जरिये नामान्तकरण दिनांक 13.04.2004 के अनुसार माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या संख्या 2 ब्यावर के निर्णयानुसार एवं डिक्री अनुसार जमाबन्दी में उक्त खाता संख्या 9 में वर्णित भूमियो का विभाजन होना पाया गया। इसी जमाबंदी में विवादित भूमियो को अन्य व्यक्तियो के द्वारा खरीद किया जाकर उनका उनके नाम जरिए नामान्तरकण दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में खाता संख्या 77 में नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 26.2.2012 के द्वारा सम्पूर्ण खाते में प्रतिवादी नानकराम पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में खसरा नंबर 153 में प्रतिवादी श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि भंवरलाल के नाम दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 49 में नानकराम पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज होना पाया गया। दीवानी वाद संख्या 19/1994 जो अजनाम श्री कैलाशचन्द वगैरह बनाम श्रीमति दयावंती वगैरह का वाद प्रस्तुत होना पाया गया। तथा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दिनांक 26.02.2004 को विभाजन की डिक्री विवादित भूमियो के विषय में पारीत किया जाना पाया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में दीवानी वाद संख्या 66/2004 अजनाम श्रीमति आईरिस वगैरह बनाम श्रीमति दयावंती की प्रोसिडिंग एंव वाद प्रस्तुत किया जाना पाया गया जिस वाद में पूर्व में जो सिविल वाद संख्या 19/1994 में पारीत निर्णय व डिक्री दिनांक 26.2.2004 को चुनौती देते हुये बांहमी बंटवारा तक निरस्त करने तथा शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया था। न्यायालय हाजा के इस वाद के वादीगण उक्त सिविल वाद संख्या 66/2004 में बतौर प्रतिवादीगण संख्या 14, 15, 17/1, 17/2 के पक्षकार मुकदमा थे। एंव दीवानी वाद संख्या 66/2004 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से प्रस्तुत जवाबदावे को प्रतिवादी संख्या 15 व 17 की और से अडोप्ट किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त पारीत निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2004 को निरस्त करने तथा शून्य घोषित करने का कथन किया था। उक्त दीवानी वाद संख्या 66/2004 में वादीगण जो कि सिविल वाद में बतौर प्रतिवादीगण संख्या 14, 15, 17/1 व 17/2 थे उन्होने राजीनामा प्रस्तुत कर पूर्व में पारीत निर्णय व डिक्री एंव उसके आधार पर हुये जमाबंदीयो के इन्द्राज को सही होना मानते हुये राजीनामा प्रस्तुत किया था उसके आधार पर उक्त माननीय सिविल न्यायालय ने दिनांक 7.10.2009 को सम्पूर्ण वाद खारीज कर दिये का अंकन होना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के आधार पर वादीगण स्वंय के द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री को जरिये राजीनामा स्वीकार किया है, और जो सिविल न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री व राजीनामा को तथा उसके आधार पर किये गये बेचाननामो अपने हक हिस्से तक शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है,

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

जो अनुतोष सिविल न्यायालय ही प्रदान कर सकती है, क्योकि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारीत निर्णयो के अनुसार पूर्व में ही बंटवारा होकर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जा चुका एवं एंव उक्त भूमियो का विभाजन होकर एक्ट अपोन भी हो चुका है, एंव अलग अलग खाते खोले जाकर जमाबंदी में इन्द्राज भी हो चुके है, जिसको इस न्यायालय में वादीगण को चुनौती देने का कोई अधिकार क्षेत्र नही पाया जाता है। वादीगण का विवादित भूमियो पर कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र में वर्णित कथनो व अनुतोष को देखते हुये इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होना पाया जाता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज़ किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 01.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलेक्टर, ब्यावर